न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन स. 14/2024

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीनी – 1.लाछीदेवी पत्नि लाधाराम
जाति जाट, निवासी खेताणी सारण मोडोणी सेंवरो की ढाणी
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.चतरू पत्नि जीया 2.जेठा 3.देरा पि.जीया 4.नवला पुत्र दुर्गा
5.पेपो पुत्री लाधा 6.प्रभू 7.भाना पि.जीया 8.मुकना पुत्र मगना
9.राणा 10.हेमा 11.हरदान पि.जीया 12.हीरा पुत्र मगना
जाति जाट, निवासी खेताणी सारण मोडोणी सेंवरो की ढाणी
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण –
प्रार्थीनी :– **श्री ठाकराराम कड़वासरा**
विप्रार्थीगण :– **एकतरफा**

निर्णय

दिनांक :– 16.05.2024

प्रार्थीनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 12 की संयुक्त की खातेदारी के खेत **तहसील धनाऊ के मौजा खेताणी सारण मोडोणी सेंवरों की** ढाणी **(बिसारणिया) में खसरा सं. 1101, 93**[illegible]**342** आया हुआ है। **जिसमें प्रार्थीनी** का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हो गया, जि[illegible]कारी प्रार्थीनी को नही हुई। वर्तमान में जमाबन्दी लेने पर प्रार्थीनी को अपने [illegible] नाम की जा[illegible] हुई।

प्रार्थीनी का वास्तविक नाम [illegible] है जबकि उक्त [illegible]ग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का गलत नाम लाली पत्नि लाधा दर्ज है। [illegible]से दुरस्त कर ला[illegible] पत्नि लाधाराम करवाना चाहती है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:30:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी के नाम दुरस्ती की रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया । विप्रार्थीगण के रजि. नोटिस जारी किये गये। बावजूद विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवही अमल में लाई गई। तहसीलदार धनाऊ से नाम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का दर्ज नाम लाली पत्नि लाधा के स्थान पर लाछीदेवी पत्नि लाधाराम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया ।

प्रार्थीनी के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर **तहसील धनाऊ के मौजा खेताणी सारण मोडोणी सेंवरों की ढाणी (बिसारणिया) में खसरा सं.** 1101, 935, 936, 937, 938, 943, 942 में दर्ज प्रार्थीनी का नाम लाली पत्नि लाधा के स्थान पर लाछीदेवी पत्नि लाधाराम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan
Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:30:28 IST
Reason: SelfAttested